भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3906

18 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

मुफ्त खाद्यान्न

3906. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में केन्द्र सरकार द्वारा कुल कितने लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है;

(ख) दिल्ली में कुल कितने लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है;

(ग) क्या देश में कोई जाली राशन कार्ड पहचान अभियान चलाया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अभियान के अंतर्गत पता लगाए गए जाली राशन कार्डों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) का कार्यान्वयन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है, जिसके तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों की वांछित कवरेज की तुलना में लगभग 80.67 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया जा रहा है।

(ख): इस अधिनियम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए 72.78 लाख व्यक्तियों को शामिल करने का प्रावधान है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने अधिनियम के तहत अधिकतम स्वीकार्य सीमा तक लाभार्थियों की पहचान की है।

(ग) और (घ): एनएफएसए के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त दायित्व के तहत परिचालित की जाती है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के तहत पात्र लाभार्थियों की पहचान करने का दायित्व राज्य सरकार का है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएफएसए के तहत शामिल करने के लिए समाज के कमजोर वर्गों सहित सभी पात्र और गरीब व्यक्तियों/परिवारों की पहचान करने करने हेतु एक एडवाइजरी जारी की है। राज्य अपने लाभार्थियों के डेटाबेस को परिशोधित करने का काम कर रहे हैं ताकि फर्जी राशन कार्ड हटाए जा सकें और सही लाभार्थियों को बेहतर तरीके से लक्षित किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार, अधिनियम के तहत अयोग्य लाभार्थियों को हटाना और योग्य लाभार्थियों को जोड़ना एक सतत प्रक्रिया है।

...2/-

वर्ष 2013 से टीपीडीएस संचालनों में प्रौद्योगिकी के उपयोग अर्थात राशन कार्ड/लाभार्थी डेटाबेस का डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग, डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया, अयोग्य लाभार्थियों, मृत्यु, लाभार्थियों के स्थायी प्रवास की पहचान आदि के परिणामस्वरूप सभी राज्यो/संघ राज्य क्षेत्र को वर्ष 2013 से वर्ष 2024 (13.12.2024 तक) के बीच लगभग 5.87 करोड़ राशन कार्डों को हटाने में सक्षम हुए हैं ताकि सही लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। हटाए गए राशन कार्डों को प्रदर्शित करने वाला विवरण **अनुबंध 1** में है।

*****

अनुबंध 1:

लोक सभा के दिनांक 18.12.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3906 के उत्तर के भाग (ग) और (घ) में उल्लिखित अनुबंध "निःशुल्क खाद्यान्न"

वर्ष 2013 से 2024 तक हटाए गए राशन कार्डों का विवरण (दिनांक 13.12.2024 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल
1	आंध्र प्रदेश	43,68,125
2	अंडमान एवं निकोबार	2,142
3	अरुणाचल प्रदेश	21,040
4	असम	4,08,011
5	बिहार	13,81,584
6	चंडीगढ़	3,063
7	छत्तीसगढ	15,16,532
8	दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव	15,027
9	दिल्ली	3,27,297
10	गोवा	1,74,496
11	गुजरात	8,15,734
12	हरियाणा	15,21,067
13	हिमाचल प्रदेश	79,569
14	जम्मू एवं कश्मीर	1,27,872
15	झारखंड	11,26,620
16	कर्नाटक	31,32,421
17	केरल	2,46,791
18	लद्दाख	702
19	लक्षद्वीप	1,568
20	मध्य प्रदेश	25,17,627
21	महाराष्ट्र	46,12,756
22	मणिपुर	95,245
23	मेघालय	15,123
24	मिजोरम	12,578
25	नगालैंड	51,952
26	ओडिशा	7,81,573
27	पुदुचेरी	1,09,306
28	पंजाब	7,59,558
29	राजस्थान	25,58,261
30	सिक्किम	29,278
31	तमिलनाडु	7,89,063
32	तेलंगाना	22,33,749
33	त्रिपुरा	2,00,665
34	उत्तर प्रदेश	1,93,54,572
35	उत्तराखंड	7,72,367
36	पश्चिम बंगाल	85,59,560
	कुल	**5,87,22,894**

*****